संख्या- 764 /सत्तर-3-2026-1975038

प्रेषक,

निधि श्रीवास्तव,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **कुलपति,**
समस्त निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

2. **निदेशक,**
उच्च शिक्षा,
उ0प्र0, प्रयागराज।

3. **कुलसचिव,**
समस्त निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक 28 जुलाई, 2026**

विषयः- प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत समस्त निजी विश्वविद्यालयों के शिक्षकों एवं एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-260/सत्तर-3-2026-1975038, दिनांक 02.04.2026 के माध्यम से प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत नियमित एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों व स्ववित्तपोषित मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं राज्य विश्वविद्यालयों में कार्यरत नियमित एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किया गया है।

2- उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उच्च शिक्षा विभाग के अधीन स्थापित निजी विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं उनके आश्रितों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमन्य होगा :-

(1) उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत उक्त शिक्षकों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेस सुविधा अनुमन्य कराये जाने हेतु उच्च शिक्षा विभाग द्वारा वास्तविक व्यय-भार के दृष्टिगत प्रीमियम आदि के निर्धारण की कार्यवाही पृथक से की जायेगी।

(2) उक्त कैशलेस उपचार सुविधा योजना का क्रियान्वयन स्टेट एजेंसी फार कम्प्रेहेन्सिव हेल्थ एण्ड इंटीग्रेटेड सर्विसेज (*SACHIS*) के माध्यम से की जायेगी । उक्त सुविधा राजकीय चिकित्सालयों तथा साचीज के साथ सम्बद्ध निजी चिकित्सालयों में अनुमन्य होगी, जिसकी दरें वही होंगी, जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभिकरण (NHA) द्वारा समय-समय पर संसूचित की जायेगी।

(3) उक्त कैशलेस उपचार सुविधा के अन्तर्गत प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत निजी विश्वविद्यालयों में कार्यरत के शिक्षकों को स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के दृष्टिगत उक्त शिक्षकों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्य लाभार्थी होंगे।

(4) उक्त लाभार्थियों एवं उनके आश्रित परिवारों का पूर्ण विवरण/डाटा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नामित नोडल अधिकारी द्वारा प्रत्येक अकादमिक वर्ष के अन्त में/प्रतिवर्ष 30 जून तक कैशलेस चिकित्सा योजना सुविधा हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी, स्टेट एजेंसी फार कम्प्रेहेन्सिव हेल्थ एण्ड इंटीग्रेटेड सर्विसेज (*SACHIS*) को उपलब्ध कराया जायेगा ताकि पात्र लाभार्थियों एवं परिवारों को इसका लाभ दिये जाने हेतु कैशलेस चिकित्सा योजना में उन्हें सम्मिलित अथवा विलोपित करते हुए कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ दिया जा सके।

(5) उपरोक्त लोगों में से पूर्व से केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित किसी अन्य स्वास्थ्य योजना (यथा-प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना/मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान आदि) से आच्छादित हैं, उन्हें इस योजना का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

3- कृपया उपर्युक्तानुसार योजना के क्रियान्वयन हेतु समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
Digitally signed by
NIDHI SRIVASTAVA
Date: 28-07-2026
18:04:36
(निधि श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
(2) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
(3) प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
(4) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश/समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश/समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0)।
(5) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आयुष्मान भारत, स्टेट एजेंसी फार कम्प्रेहेन्सिव हेल्थ एण्ड इंटीग्रेटेड सर्विसेज (साचीज), लखनऊ (द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0)।
(6) वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(7) समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
(8) अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, लखनऊ।

आज्ञा से,
(शकील अहमद सिद्दीकी)
संयुक्त सचिव।